न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–615 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010044042026

दयाशंकर यादव पुत्र लवधर।
सा0मौ0–हसनपुर, थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–182 / 2026
धारा–115(2), 109(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0।
थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर।

10.06.2026

आवेदक / अभियुक्त दयाशंकर यादव के द्वारा मु0अ0सं0–182 / 2026, धारा–115(2), 109(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0, थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा सुनीता देवी ने प्रथम सूचना अंकित करायी है कि दिनांक 24.05.2026 समय लगभग 4.50 बजे अपने पति व लड़की के साथ अपने खेत की मिट्टी बराबर कर रही थी कि उसके पड़ोसी दयाशंकर, शिवकुमार, नीरज व दीपक आकर मेढ़ के विवाद को लेकर गाली गुप्ता देने लगे, मना करने पर जान से मारने के नियत से राड व लाठी से मारने लगे जिसके कारण उसके पति व लड़की को सर पर काफी चोटें आयी है। जब गांव के लोग बचाने के लिये इकट्ठा होने लगे तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित नहीं किया गया है और न ही घटना में शामिल या शरीक रहा है। चोटहिलों के शरीर के किसी भी मर्मस्थल अंग पर कोई भी ऐसी चोटें नहीं है जो प्राणघातक या गम्भीर प्रकृति की हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोटहिल को अभियुक्तों द्वारा राड से चोट पहुंचाने की बात कही गयी है, परन्तु चिकित्सीय रिपोर्ट में चोटहिल के शरीर के किसी भी वाइटल पार्ट पर कोई भी चोटें नहीं हैं, और न ही कोई चोटें गम्भीर प्रकृति की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोटहिल को चार लोगों द्वारा चोट पहुंचाने की बात कही गयी है लेकिन किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार था इसका कोई भी जिक्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 24.05.2026 समय लगभग 4.50 बजे अभियुक्तगण दयाशंकर, शिवकुमार, नीरज व दीपक द्वारा मेढ़ के विवाद को लेकर गाली गुप्ता देने लगे, मना करने पर जान से मारने के नियत से राड व लाठी से मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम की पुष्टि वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। केस डायरी पर उपलब्ध मजरूबगण दयाशंकर यादव, सुनीता व शिवानी की आघात आख्या में क्रमशः 5, 3 व 2 चोटें आने का अंकन किया गया है तथा मजरूबगण की चोटों के सी0टी0 स्कैन हेतु जिला अस्पताल रेफर करने का उल्लेख किया गया है। मजरूबगण की आघात आख्या में स्टिचिस वाउण्ड अंकित किया गया है परन्तु चोटों की गहराई का अंकन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिल दयाशंकर यादव व शिवानी की सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में All the ventricular system

are noramal अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या एवं सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में चोटहिलों को कोई फ्रैक्चर आने का अंकन नहीं किया गया है। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दयाशंकर यादव के द्वारा मु0अ0सं0–182/2026, धारा–115(2), 109(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0, थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 10.06.2026
नितिन कुमार/–

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।